

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
क्रमांक:-एफ.2(ग)(1)अलेसे-I/ 7453-7461 दिनांक:- 22/12/2014
आदेश संख्या 113/14-15

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 29 के उप नियम (2)के अन्तर्गत लेखाकार से सहायक लेखाधिकारी पद पर पदौन्नति हेतु वर्ष 2014-15 के लिए गठित विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक में श्री किशोर सिंह (जन्म तिथि 28.06.65) (लिंग नम्बर 8521) लेखाकार के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, पुनरावेदन एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण वर्ष 2014-15 की रिक्तियों के विरुद्ध सहायक लेखाधिकारी के पद पर चयन करते हुए, इनके चयन के नतीजे को बन्द लिफाफे में रखा गया था।

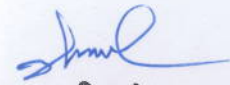
श्री किशोर सिंह के विरुद्ध लम्बित विभागीय जांच में श्री किशोर सिंह को विभागीय आदेश संख्या एफ1(सी) 1543/2012/2251-2255 दिनांक 27.8.14 के द्वारा दोषमुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री किशोर सिंह के बन्द लिफाफे में रखे गये सहायक लेखाधिकारी के पद पर चयन के नतीजे को खोलकर उक्त विभागीय पदौन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर इन्हे 2014-15 के रिक्त पद के विरुद्ध सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम पद की वेतन श्रृंखला (9300-34800, ग्रेड पे-4800) में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है।

श्री किशोर सिंह की वरिष्ठता वर्ष 2014-15 में चयनित सहायक लेखाधिकारी की सूची में श्री गोविन्द शरण शर्मा (क.स. 526) एवं श्री महावीर प्रसाद सोनी (क.स. 528) के मध्य (क.स. 527) पर रहेगी। श्री किशोर सिंह सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय के, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम के पद पर पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2(ग)(1)अलेसे-I/ 7453-7461 दिनांक:- 22/12/2014
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज. जयपुर
2. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज. अजमेर
3. अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (एनआरएचएम) सीकर
4. श्री किशोर सिंह सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (एनआरएचएम) सीकर
5. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय
6. उप निदेशक (एसीपी)को वेबसाइट पर अपलोड एवं पीआईएस में इन्द्राज हेतु
7. अलेसे-II/डीपीसी शाखा/ए.सी.आर. शाखा
8. गार्ड फाईल/ निजी पत्रावली


(के.एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)